



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 31 अक्टूबर, 2001

कार्तिक 9, 1923 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग—6

संख्या 1481/36-6-2001-45 (टी)-83

लखनऊ, 31 अक्टूबर, 2001

अधिसूचना

प०आ०—826

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित शिक्षु अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 52 सन् 1961) की धारा 24 की उपधारा (1), (4) और (5) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से समय-समय पर यथा संशोधित सरकारी अधिसूचना सं० 172-वि/36-6-87-45 (टी)-83, दिनांक 19 जुलाई, 1988 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:—

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात:-

(ख) निम्नलिखित व्यक्तियों को ऊपर खण्ड (ख) के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षुता परिषद् का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य नियुक्त करते हैं, अर्थात :-

1.	श्रम राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उत्तर प्रदेश।	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	उपाध्यक्ष
3.	उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश, कानपुर।	सदस्य
4.	निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।	सदस्य
5.	राज्य शिक्षुता परामर्शदाता और निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ०प्र० लखनऊ।	सदस्य
6.	संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण एवं शिक्षु कानपुर— इलाहाबाद— मण्डल कानपुर।	सदस्य
7.	निदेशक, शिक्षुता परिषद्, भारत सरकार काकादेव, कानपुर।	सदस्य
8.	निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।	सदस्य
9.	निदेशक, व्यावसायिक परीक्षा परिषद्।	सदस्य
10.	श्री रामदौर सिंह, भारतीय मजदूर संघ मुख्य कार्यालय, लखनऊ।	सदस्य
11.	श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर।	सदस्य
12.	सचिव, राज्य विद्युत परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	सदस्य
13.	क्षेत्रीय निदेशक, पी०एच०डी० चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इन्स्टीज, 5—पार्क रोड, लखनऊ।	सदस्य
14.	निदेशक, उद्योग बन्धु, पिकअप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।	सदस्य
15.	श्री प्रेम सागर मिश्रा, भारतीय मजदूर संघ, 7 एफ महापालिका क्वाटर्स पिशाच मोचन, वाराणसी।	सदस्य
16.	श्री अम्बिका सिंह, 2 नवीन मार्केट, कानपुर।	सदस्य
17.	क्षेत्रीय निदेशक (शिक्षु) उत्तरी क्षेत्र, भारत सरकार, कानपुर।	सदस्य

आज्ञा से,
मंजुलिका गौतम,
प्रमुख सचिव।

